अध्याय-2 सदस्यों को आमंत्रण, बैठने का क्रम, शपथ या प्रतिज्ञान और सदस्यों की नामावली

आमंत्रण.

3. जब संविधान के अनुच्छेद 174 (1) के अधीन सभा आहूत की जाय तब सचिव, सभा के सत्र के लिए तिथि, स्थान का उल्लेख करते हुए प्रत्येक सदस्य को आमंत्रण भेजेगा :

परन्तु जब सत्र अल्प सूचना पर या आपात में बुलाया जाए तो आमंत्रण प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग चाहे न भेजा जाए, किन्तु सत्र की तिथि व स्थान की घोषणा राजपत्र में और प्रचार माध्यम द्वारा की जायेगी और सदस्यों को तार/फेक्स द्वारा सूचना दी जा सकेगी.

सत्र.

4. सदन का सत्र संविधान के अनुच्छेद 174 (1) के अधीन राज्यपाल के आदेश में विनिर्दिष्ट तिथि को प्रारम्भ होगा और संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (क) के अधीन राज्यपाल के सदन का सत्रावसान करने के आदेश की तिथि को समाप्त होगा :

परन्तु यह कि कार्य उस समय समाप्त किया जा सकेगा, जो सदन के नेता के परामर्श के बाद अध्यक्ष द्वारा उस सत्र के लिये नियत सदन की अन्तिम बैठक के लिये निर्धारित किया जाये.

सदस्यों के बैठने का क्रम.

5. सदस्य ऐसे क्रम में बैठेंगे जो कि अध्यक्ष निर्धारित करे.

शपथ या प्रतिज्ञान.

6. जो सदस्य संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसरण में पहले ही शपथ न ले चुका हो या प्रतिज्ञान न कर चुका हो वह सचिव को लिखित रूप में पूर्व सूचना दे कर किसी भी दिन सभा की बैठक के प्रारम्भ में अथवा सभा की बैठक के किसी अन्य समय पर, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, ऐसा कर सकता है.

सदस्यों की नामावली

6-क. सभा के सदस्यों की एक नामावली होगी जिस पर प्रत्येक सदस्य अपने स्थान पर बैठने से पहले, सचिव के सामने हस्ताक्षर करेगा.